





फर्द अहकाम

(नियम 26)

आदालत... 31/12/25 पिला कलेक्टर मुकाम... दूनी
 नवान... लक्ष्मण बनाम गाथव तह दूनी
 कदमा... अपील नं. 38 सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>23/12/2025</p>	<p>अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित है। प्रकरण समाप्त आदालत एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अपील के साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 भी प्रस्तुत किया है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि नायव तहसीलदार दूनी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.10.2025 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नं. 1263 रकबा 0.80 हैक्टेयर वाके ग्राम जलसीना तह. दूनी पर अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। उक्त निर्णय पटवारी हलका की गलत रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश की कियान्विती ताफैसला स्थगित की जावें।</p> <p>हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया। हम प्रार्थना पत्र स्थगन को खारिज किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मिसल तलब कर पत्रावली दिनांक 02.01.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  बदिरस विजा कलेक्टर दोब </p>	<p style="text-align: right;">  1291 24/12/2025 </p> <p style="text-align: right;">  1325 31/12/2025 </p>
<p>02/01/2026</p>	<p>अभि. अपीलान्ट व पेशकार सरकार उप. अपीलाधीन आदेश से संबंधित मिसल अज्ञात फावली वास्ते इंजान मिसल दिनांक 08/01/2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  बदिरस विजा कलेक्टर दोब </p>	